उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ - 226001

फोन : 0522 - 2238846, 2236600, फैक्स : 0522-2237800

पत्रांक सं0 ....0691/16   दिनांक 16.09.2016

सेवा में,

प्रबन्धक,
कृष्णा पैरामेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल,
कमालपुर, छुटमलपुर,
सहारनपुर।

विषय–कृष्णा एजूकेशनल ट्रस्ट के द्वारा प्रस्तावित कृष्णा पैरामेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, कमालपुर, छुटमलपुर, सहारनपुर में डिप्लोमा इन फिजियोथिरेपी एवं डिप्लोमा इन सेनीटेशन (एक वर्षीय) प्रशिक्षण कोर्स प्रारम्भ करने हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन–पत्र के सन्दर्भ में मुझे सूचित करना है कि उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी की गवर्निंग बाडी के निर्णय एवं उ0प्र0 शासन चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–3368/71–2–16–एन–8/2016 दिनॉक 16.09.2016 के क्रम में आपके प्रशिक्षण केन्द्र में **डिप्लोमा इन फिजियोथिरेपी एवं डिप्लोमा इन सेनीटेशन (एक वर्षीय)** प्रशिक्षण में **30 छात्र** (प्रत्येक प्रशिक्षण) प्रति शैक्षिक वर्ष हेतु अनुमति/अनापत्ति अस्थायी रूप से प्रदान की गई है।

<u>प्रवेश हेतु शैक्षिक अर्हता एवं अन्य शर्तें:–</u>

1. प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान अथवा गणित) सहित उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 17 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
3. प्रशिक्षण के दौरान छात्रों से अधिकतम रूपया 54,000/–(रूपया चौवन हजार) प्रतिवर्ष (रूपया 4,500/–प्रतिमाह) प्रशिक्षण शुल्क लिया जा सकता है।
4. समाचार–पत्रों में विज्ञापन जारी करने से पूर्व विज्ञापन के आलेख (प्रारूप) का इस कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही समाचार–पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया जाये।
5. प्रवेश सत्र प्रतिवर्ष अक्टूबर/नवम्बर से प्रारम्भ किया जायेगा तथा प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षा निर्धारित प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने के पश्चात् उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा करायी जायेगी। सिलेबस कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

6. **डिप्लोमा इन फिजियोथिरेपी एवं डिप्लोमा इन सेनीटेशन (एक वर्षीय)** प्रशिक्षण में भर्ती हेतु चयन सूची प्रकाशित करने से पूर्व चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्रों की प्रतियों सहित चयन सूची का अनुमोदन फैकल्टी से प्राप्त करने के पश्चात् ही प्रशिक्षण में प्रवेश लिया जायेगा। चयन सूची में अभ्यर्थियों का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि एवं पता स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।

7. प्रशिक्षण केन्द्र में कार्यरत अध्यापकों के नाम की सूची, शैक्षिक योग्यता, अनुभव की अवधि तथा प्रत्येक अध्यापक द्वारा पढ़ाये जाने वाले विषयों का उल्लेख सहित समस्त विवरण संलग्न प्रोफार्मा में भरकर प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों के चयन करने से पूर्व इस कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें।

8. निर्धारित भर्ती क्षमता से अधिक प्रवेश न किया जाये।

9. सम्बद्धता शुल्क रूपया 15,000/– प्रतिवर्ष इस कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।

10. प्रशिक्षण केन्द्र का निरीक्षण आवश्यकतानुसार प्रतिवर्ष कराया जायेगा, निर्धारित मानक पूरे होने के पश्चात् ही मान्यता/सम्बद्धता आगे बढ़ायी जायेगी।

11. आपके प्रशिक्षण केन्द्र में उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा संचालित प्रशिक्षण के अतिरिक्त किसी अन्य संस्थाओं/विश्वविद्यालयों से डिप्लोमा प्रशिक्षण बिना उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी की पूर्वानुमति के नहीं चलाये जायेगें, यदि आप द्वारा इस शर्त का किसी स्तर पर उल्लंघन किया जाता है तो उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा दी गई मान्यता/सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।

12. प्रत्येक वर्ष में प्रवेशित छात्रों का इनरोलमेन्ट कार्यालय की वेबसाइट www.upsmfac.org पर 30 नवम्बर–2016 तक अवश्य किया जाना अनिवार्य है।

13. कार्यालय की वेबसाइट पर माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 के समकक्ष बोर्ड की सूची दर्शित है उसके अतिरिक्त किसी भी गैर मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण छात्रों का प्रवेश किसी भी दशा में न किया जाये।

भवदीय,

सचिव,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी।